

नम्बर व
अहवाल
डुकम की ताम
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम सरदारनगर तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 40/2017 राजस्व वाद

अनवान

1. भंवरी देवी पत्नि भंवरलाल दमामी उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादीया)

बनाम

1. धन्ना पिता बगतावर चमार उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. मोहनलाल पिता भैरू चमार उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. रामचन्द्र, सांवरमल पिता भैरू ना.बा., शान्ति पुत्री भैरू ना.बा.व.बि. संरक्षक माता कंकु बैवा भैरू चमार उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. कंकु बैवा भैरू चमार उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
5. रामा पिता बगतावर चमार उम्र वयस्क निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0 लाओलाद फौत
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. वादीया मय अधिवक्ता उपस्थित
2. पेरोकार सरकार..... विपक्षी क्रम 06

दिनांक– 25.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम सरदारनगर में वादीया मय अधिवक्ता तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 25.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीया का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम सरदारनगर पटवार क्षेत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा स्थित खतौनी संख्या 539 किता 7 कुल रकबा 09-13 बीघा भूमि का शिविर में तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. भंवरीदेवी पत्नि भंवरलाल दमामी सा.देह खातेदार (वादीया)

आ0न0	रकबा	लगान
3081/1	00-14	4.20
3082/1	00-09	2.70
3083/1	00-08	0.32
3084/1	00-17	0.68
कुल 01	रकबा 02-08 बीघा	7.90

उपखण्ड अधिकारी

- 2 धन्ना रामा पिता बगतावर 2/3, मोहनलाल पिता भैरू, रामचन्द्र सांवरमल पिता भैरू नाबालिग, शान्ति पुत्री भैरू ना.बा.व.बि. माता कंकु, कंकु बैवा भैरू 1/3, चमार सा.देह खातेदार (विपक्षीगण)

आ0न0	रकबा	लगान
3080	00-04	0.09
3081	01-04	3.60
3083	00-07	0.28
3084	00-13	0.52
3082	01-06	7.80
3075	01-07	1.08
3076	02-04	9.00/2.10
कुल 07	रकबा 07-05 बीघा	24.47

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीया व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 के मध्य क्रम संख्या 1 व 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम सरदारनगर में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेमर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- डिकी की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

(रतन लाल रेमर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)